राजस्थान में बाल विवाह व अनमेल विवाह के सन्दर्भ में आर्य समाज की भूमिका

डॉ. पिंकी यादव
प्रवक्ता
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, (राज.)

राजस्थान में आर्य समाज के प्रचार से पूर्व बाल विवाह की प्रथा ने इस भूमि में अपनी जड़ें जमा ली थी और व्यक्ति विशेष के द्वारा किये गये प्रयत्नों को कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा था। यह प्रथा एक छूत की बीमारी जैसी थी और किसी एक दवा से उसको जड़ से उखाड फेंकना सम्भव नहीं था। राजस्थान में 5–10 वर्ष तक की छोटी आयु में ही कन्या का विवाह कर दिया जाता था। उनकों अपने शारीरिक और मानसिक विकास का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता था। उनकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उनकी शीघ्र ही शादी कर दी जाती थी तथा साथ ही जल्दी शादी करने का कारण यह भी था कि उस समय यह मान्यता थी कि छोटी आयु की कन्या अपनी शादी के बाद आसानी से अपने पति के साथ उसके सम्बन्धों में सांमजस्य स्थापित कर सकती थी। इस प्रकार की शादियों में वैवाहिक ज्ञान और उत्तरदायित्वों का अभाव होता था। इस प्रकार विवाह बालिका के लिए कुछ दिनों का आकर्षण होता था जिसमें उसे सुन्दर वस्त्र, मिठाईयां, पटाखे प्राप्त होने की लालसा होती थी।

छोटी आयु में ही विवाह कर देने से कन्याओं का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता था। उसकी सर्वोच्चता उसकी सास द्वारा छीन ली जाती थी। बाल विवाह के कारण वह जल्दी ही माँ बन जाती थी और विधवा भी। बाल विवाह से उनकी स्वतत्रंता व बालपन का आनन्द समाप्त हो जाता था। साधारणतः रजस्वला हो जाने पर कन्या का अविवाहित होना पाप समझा जाता था। बाल–विवाह के कारण ही बल विधवाओं की समस्याऐं उत्पनन हो गई। सन् 1931 ई0 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में पाँच वर्ष की हिन्दू विधवाओं की संख्या 23,832 व 10 वर्ष की हिन्दू विधवाओं की संख्या 2,54,438 थी। नाबालिग कन्याओं एवं युवतियों की विधवा हो जाने पर जो दुदर्शा होती थी उसका वर्णन कर सकना सम्भव नहीं है। राज्य सरकारें और ब्रिटिश सरकार भी इस सामाजिक कुरीती को कानून द्वारा बन्द करने में हिचक रही थी।[1]

अतः हिन्दू समाज में प्रचलित कुप्रथाओं में बाल विवाह एक प्रमुख सामाजिक समस्या थी। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द का कहना था कि–

''बाल्यावस्था में विवाह से उतनी हानि पुरूष को होती है जैसे कच्ची फसल को काट लेने से अन्न नष्ट हो जाता है, कच्चे फल और ईख की मिठास नहीं होती ठीक उसी तरह छोटी आयु में जो अपनी सन्तानों का विवाह कर देते है उनका वंश बिगड़ जाता है।''

महात्मा गांधी ने यंग इण्डिया में –

''बाल विवाह अभिशाप'' नाम एक लेख में लिखा कि बाल विवाह की प्रथा नैतिक एवं शारीरिक दृष्टि से बुरी है क्योंकि यह हमारी नैतिकता को नष्ट करती है। इस प्रकार की प्रथाओं का समर्थन करके हम स्वराज्य एवं परमेश्वर के नियम से परे हटते है। मैं ऐसे विषयों में विधान बनाने का विरोधी नहीं हूँ।''

साधारणतया 18 वर्ष की आयु से पूर्व कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए।[1] भारत में बाल विधवाओं की संख्या काफी होने का एक प्रमुख कारण यह था कि यहाँ छोटे–छोटे लड़के लड़कियों का 4–5 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया

जाता था। कई बार तो गर्भस्थ बालकों की सगाई पक्की कर दी जाती थी। सन् 1890 ई0 में पति द्वारा सम्भोग किये जाने के परिणामस्वरूप अवयस्क फूलमणि की मृत्यु हो गई थी। इस समस्या को हल करने के लिए 1891 में ''सहवास विधयक कानून'' बनाया गया।

बाल विवाह के कारण ही बाल विधवाओं की समस्याऐं उत्पन्न हो गई। सन् 1931 ई. जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में पाँच वर्ष की हिन्दू विधवाओं की संख्या 23,832, 10 वर्ष की हिन्दू विधवाओं की संख्या 10,817 तथा 6–15 वर्ष की हिन्दू विधवाऐं 2,54,438 थी।[2] राजस्थान में बाल विवाह प्रथा महारोग की तरह व्याप्त थी। अजमेर के श्री हरविलास शारदा ने बाल विवाह का घोर विरोध किया। 1929 ई0 को बाल विवाह ''अवरोधक अधिनियम'' पारित किया जिसे ''शारदा एक्ट'' कहते है।

शारदा हरविलास ने 15 सितम्बर 1927 ई. को बाल–विवाह अवरोधक बिल असेम्बली के सम्मुख रखा और इस बिल पर शारदा ने ओजस्वी वाणी में भाषण दिया। बिल को खटाई में डालने के लिए सरकारी ग्रह सदस्य ने इस पर लोकमत संग्रह करने का संशोधन उपस्थित किया, इधर बिल पर विचार करने के लिए सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन लाला लाजपतराय, जयकर, ईश्वरी शरण ने ओजस्विता से किया। मदन मोहन मालवीय एवं श्री बेलकर आदि इस बिल के विरोधी थे। अन्त में मत लिये जाने पर सरकारी सदस्यों का प्रस्ताव कि सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किये जाने के पहले लोकमत संग्रह किया जाये जो बहुमत से अस्वीकार हो गया। सरकारी सदस्यों के पक्ष में 551 सम्मतियां थी और विरोध में 561।[1] ऊपरी दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि बहुत ही थोड़े मत से यह सफलता मिली, परन्तु सम्मतियों की जांच करने से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दु सदस्यों में इस बिल के समर्थकों की संख्या 33 थी जबकि विरोधियों की केवल 13 थी।[1] इस बिल को पास होने में काफी समय लग गया। इस बिल को अंग्रेजी में ''चाईल्ड मेरिज रेस्ट्रेन्ट एक्ट नं0 (19 आफ 1929) कहते है। इस बिल को हरविलास शारदा ने बड़े लाट् साहब (गवर्नर जनरल) की कौन्सिल में पास कराया तथा 1 अक्टूबर 1929 ई0 को इसकी मंजूरी मिली।[2] इस अधिनियम में निम्न धाराऐं रखी गई–

(1) विवाह के समय लड़के–लड़कियों की कम से कम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष होनी चाहिए। सन् 1949 में लड़कियों के लिए विवाह की इस आयु को 15 वर्ष की कर दिया गया। इससे कम आयु में सम्पन्न होने वाले विवाह को बाल विवाह की संज्ञा दी गई है और उसे दण्डनीय अपराध माना गया है।

(2) विवाह हो जाने के पश्चात् कोई भी विवाह कानून द्वारा अमान्य नहीं माना जायेगा।

(3) इस अधिनियम के विरुद्ध विवाह करने वाले लड़के को यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो 15 वर्ष जेल या एक हजार रूप्या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

(4) यदि 15 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने वाले वर की आयु 21 वर्ष से अधिक है तो उसे 3 मास की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते है।

(5) बाल विवाह के सम्पन्न होने में सहायता देने वाले व्यक्तियों जैसे– नाई, पण्डित, बाराती आदि को भी तीन मास की साधारण कैद एवं जुर्माने का साधारण दण्ड दिया जा सकता है।

(6) जो माता–पिता या संरक्षक ऐसे विवाहों के सम्पन्न होने में योग देते है उनके लिए भी 3 मास की साधारण कैद या जुर्माना की व्यवस्था की गई।

(7) पुलिस बाल विवाह को रोकने के लिए कोई कार्यवाही तब तक नहीं करेगी जब तक कि कोइ व्यक्ति पुलिस को इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना न दे।

(8) बाल विवाह सम्बन्धी मुकदमों की सुनवाई केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी।

(9) विवाह सम्पन्न हो जाने के 1 वर्ष पश्चात् अदालत किसी प्रकार की शिकायत पर कोई विचार नहीं करेगी।

(10) ऐसे विवाह की पूर्व सूचना मिलने पर अदालत उसे रोकने के आदेश जारी कर सकती है।

(11) इस अधिनियम के अनुसार स्त्रियों को कैद की सजा नहीं हो सकती।

इस बिल को 1 अप्रेल 1930 ई0 से सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया।[1]

''बाल विवाह निरोध के बिल की सफलता पर हंसराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे स्वराज्य सूर्योदय के उषाकाल की उपमा दे डाली।[1] इस बिल से प्रभावित होकर जोधपुर के मुख्य मंत्री महाराजा प्रतापसिंह ने 1935 ई. में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया।[2] शाहपुरा स्टेट में भी बाल विवाह निरोधक एक्ट लागू किया गया। इसमें यह कहा गया है कि यह एक्ट 1939 का शाहपुरा स्टेट बाल विवाह निषेध एक्ट कहलाएगा। यह 1 अप्रेल 1939 ई. को लागू होगा। जो मर्द 21 वर्ष की उम्र में कम हो और जो बाल विवाह करेगा उसे एक हजार रुपये जुर्माने की सजा होगी। रियासत हासा के महकमा पुलिस को अरित्यार होगी कि इस एक्ट की खिलाफत करने वाले को अदालत में पेश करे।[3] बाल विवाह के विरूद्ध यह वातावरण अनमेल विवाह का भी विरोध करने लगा। कट्टर आर्य समाजी हरिशचन्द्र नैण ने 1929 ई0 में अनमेल विवाह में बाल रक्षा कानून पर बीकानेर में भाषण दिये। हरिश्चन्द्र नैण ने बाल विवाह और अनमेल विवाह में एक उपसंशोधन पेश करते हुये कहा है कि–

''हिन्दू विवाह एक्ट में धारा 6 की मंशा वृद्ध विवाह पर कुछ रूकावट डालने की है। लेकिन इसमें रूकावट कुछ भी नहीं होगी। इसमें 45 वर्ष से ऊपर वाले पुरूष और 19 वर्ष से कम उम्र वाली लड़की से विवाह करने पर लड़की के मां–बाप के लिए सजा रखी गई। 45 वर्ष की उम्र में दो चार वर्ष का गोलमाल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 45–45 वर्ष का मर्द और 13–14 वर्ष की लड़की यह बिल्कुल अनमेल विवाह है। विवाह क्या ऊँट के गले में बकरी बांध देना है।''

ऐसे विवाह में लड़की को दुख परन्तु पुरूष को भी सुख नहीं हो सकता। न्याय की दृष्टि से ऐसे विवाहों से अबोध बच्चियों के जीवन नष्ट होते हैं उनकी रक्षा का भार राज्य पर है।[1] बूढ़ों के साथ विवाह होने पर बच्चियों को जीवन भर कितना कष्ट उठाना पडता है इसका अनुमान लगाना कठिन है। मैं पुरूषों में पूछना चाहता हूँ कि किसी 16 वर्ष के लड़के को 35 वर्ष की औरत से शादी करने को कहा जाये तो वह लड़का क्या करेगा। मैं इन अबलाओं की दुर्दशा का वर्णन कहाँ तक करूं एक ओर दो–दो चार–चार साल की लडकियां विधवा बनी बैठी है। एक महाजन की 25 वर्षीय लड़की इसलिए कुंवारी बैठी है कि उसके बदले में मां–बाप अपने दो लड़कों की शादी करना चाहते है। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है कि 45 वर्ष के बजाय आयु कम से कम 35 वर्ष रखी जाये। हरिशचन्द्र नैण को इससे काफी दुःख हुआ और इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में किया कि इस काम का भगवान ही मालिक है।[2] चौधरी हरिशचन्द्र का यह प्रस्ताव वास्तव में अनमेल विवाह को रोकने का एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय था परन्तु कुछ स्थायी लोगों ने जिनमें सेठ रामरतनदास, बागड़ी, मदनमोहन, दम्भाजी, आदूदान, डिसारिया, मुख्य थे, इस सुझाव का विरोध किया। परिणामस्वरूप हरिशचन्द्र नैण का यह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता।[3] परन्तु एक आर्य समाजी होने के नाते उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वह निःसन्देह आर्य समाजियों की प्रगतिशीलता का घोतक था। हरिशचन्द्र नैण ने 1930 ई0 में बीकानेर असेम्बली में अनमेल विवाह के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जो इस प्रकार थे–

(1) किस–किस निजामत में कानून के विरुद्ध कितने विवाह हुए?

(2) कितने विवाह नाजियों ने समझा बुझा कर करवाये?

(3) कितनों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश नाजियों ने की?

(4) सरकार ने कितनी मंजूरियां मुकदमें चलाने की दी?

(5) चलाये गये मुकदमों के नतीजे क्या हुये?

परन्तु इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर होम मिनिस्टर नारायण सिंह ने केवल इन शब्दों में दिये कि सूचनायें मांगी गई है।[1] ये तथ्य स्पष्ट रूप से बीकानेर प्रशासन तथा उत्तरदायी मंत्रियों की उदासीनता को प्रकट करते है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ एक तरफ आर्य समाजी इस प्रकार की सामाजिक कुरीजियों को दूर करने के लिये प्रयत्नशील थे वहीं सरकारी अधिकारी निष्क्रिय बनकर इन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे थे।

चांदकरण शारदा ने भी अपने भाषण में कहा कि ''एक ब्रह्मचर्य और सदाचार की जाति की नींव बनाकर 16 वर्ष से पूर्व लड़कियों एवं 25 वर्ष से पूर्व लड़कों का विवाह कदापि नहीं करेंगे।''[2] इसी प्रकार का भाषण शारदा ने रैगर सम्मेलन में दिया कि ''आप लोग अपने लड़के व लड़कियों का विवाह भी छोटी–छोटी अवस्था में कर देते है। अतः इस कुप्रथा को मिटाने तथा वेदोक्त रीति से 16 वर्ष की कन्या तथा 25 वर्ष का लड़का होने पर शादी करे।''

1939 ई. में नागौर में रात्रि के समय आर्य समाज भवन में रंगरूप माल एडवोकेट की अध्यक्षता में ''बाल विवाह एवं बेमेल विवाह निषेधक कानून के सम्बन्ध में एक सभा हुई तथा यह प्रस्ताव पास किया गया कि महाराजाधिराज विवाह तथा बेमेल विवाह अनिषेधक कानून अवश्य लागू करें जिससे मारवाड़ी जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास हो सकें। इस प्रस्ताव का समर्थन चौधरी मूलचन्द एवं मंत्री मारवाड़ कृषक सुधारक जोधपुर ने किया।''[1]

बाल विवाह को समाप्त करने हेतु शाहपुरा स्टेट एवं जोधपुर स्टेट ने भी शारदा जी की भांति कानून बनाये। परन्तु उनका पालन कितना हुआ, निश्चित रूप से नहीं कहा जस सकता। परन्तु आर्य समाजियों के प्रयासों का प्रभाव धीरे–धीरे शिक्षित जनता पर अवश्य पड़ा और शिक्षित परिवारों में बाल विवाह होने लगभग बन्द हो गये। अनपढ़ जनता पर इस अधिनियम का असर बहुत कम ही पडा।

(1) उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन – डॉ. कालूराम शर्मा पृष्ठ 129

(1) यंग इण्डिया : जवाहर लाल नेहरू 26 अगस्त, 1926

(1) आर्य मर्तान्ड 20 सितम्बर 1927 अंक 23 बाल विवाह अवरोधक बिल

(1) आर्य मर्तान्ड 20 सितम्बर 1927 अंक 23 बाल विवाह अवरोधक बिल की सफलता

(2) शारदा हरविलास– स्वीचेज एण्ड राइटिंग, चाइल्ड मेरीज, पृष्ठ 33 से 68 (वैदिक मंत्रालय अजमेर 1935)

(1) मोतीलान गुप्त– भारतीय सामाजिक संस्थाये पृष्ठ 452

(1) आर्य मर्ताण्ड 26 दिसम्बर 1929 अंक 29 लेख राय बहादुर शारदा का बाल विवाह

(2) आर्य जिय पतिता नवम्बर 1885 पृष्ठ 14

(3) शाहपुरा स्टेट – बाल विवाह निषेध एक्ट सन् 1939 ई0 पृष्ठ 192

(1) ठाकुर देशराज भरतपुर, बीकानेर, जागृति के अग्रदूत चौधरी हरिशचन्द्र नैण पृष्ठ 85–86

(2) हरिशचन्द्र नैण वही पृष्ठ 86

(3) उद्वतो ग्रन्थ पृष्ठ 86

(1) हरिशचन्द्र नैण वही पृष्ठ 87–88

(2) चांदकरण शारदा का भाषण 1929, पृष्ठ 4–5